65

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :– एफ2(8)/नि.प्र./2014-15/ 229 दिनांक : 30.07-2014

आदेश

आदेश क्रमांक वि.स./2014–15/नि.प्र/94 दिनांक 19.05.2014 के द्वारा अतिरिक्त मदों (extra items) व अतिरिक्त मात्राऐं (Additional Quantities) के प्रकरण लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों (PWFAR) के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप निर्णित किये जाने के आदेश दिये गये थे, किन्तु संज्ञान में आया है कि उक्त आदेशों की अब भी अवहेलना की जा रही है।

यह भी संज्ञान में लाया गया है कि अधिकारियों द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उनके कार्यालय में पदस्थापित वरिष्ठतम लेखा कार्मिक/अधिकारियों की टिप्पणियॉ/परीक्षां के बिना ही किया जा रहा है। प्रदत्त वित्तीय शक्तियों के प्रयोग के सम्बन्ध में लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के परिशिष्ठ XIII का बिन्दु सं. (vi) में इस बाबत पूर्णतया स्पष्ट निर्देश दिये हुए है, जिन्हें उद्धरत किया जा रहा है।

"शक्तियों का प्रयोग वरिष्ठम लेखा कार्मिकों (वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी /वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी/प्रभागीय लेखाकार), जहाँ कहीं विभाग/कार्यालय में पदस्थापित हों, द्वारा टिप्पणियों/परीक्षा करने के पश्चात ही किया जायेगा। तथापि, स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी, कारण लेखबद्ध करते हुए, लेखा कार्मिकों की सलाह को नामंजूर कर सकता है। स्वीकृति देते समय, लेखा कार्मिकों द्वारा की गयी टिप्पणी/परीक्षा संदर्भ दिया जायेगा।"

भविष्य में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में उपरोक्त की अनुपालना सुनिश्चित की जावें, अन्यथा प्रयोग की गई शक्ति को गम्भीर वित्तीय अनियमितता माना जाकर कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

राजस्थान आवासन मण्डल (कार्य निष्पादन) विनियम, 2002 के PART-V Accounting/Work Procedure के बिन्दु सं. 27 Application of PWD Code:-

"PWD code shall be applicable along with relevant financial hand books and manual of order except and to the extent modified otherwise."

के दृष्टिगत आदेश क्रमांक RE HQ I/2001-2002/776 दिनांक 26.07.2002, तत्पश्चात कार्यालय आदेश क्र. वनिस/सचिव/2007/123 दिनांक 03.11.2007 एवं कार्यालय आदेश क्रमांक 440 दिनांक 29.11.2007 के द्वारा निविदा स्वीकृति, अस्वीकृति एवं बातचीत (Negotiates) में संशोधित की गई वित्तीय स्वीकृति की सीमा को यथावत रखते हुए शेष समस्त शक्तियॉ लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम परिशिष्ठ XIII के अनुसार ही होंगी।

आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता, I/II/HQ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता I/II/III, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
4. उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त ....
5. आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड ....
6. संयुक्त निदेशक (एस.ए.), राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर को सूचनार्थ एवं संबंधित के ई–मेल व वेबसाईट पर महत्वपूर्ण आदेशों पर अपलोड़ करने हेतु प्रेषित।
7. समस्त वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि जारी की गई स्वीकृतियॉ सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत है, यदि स्वीकृतियॉ अधिकारातीत रूप से गैर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की गई हैं, तो उनको सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति हेतु लौटा दें, अन्यथा अधिकारतीत किये गये कार्य में उनकी भी समान सहभागिता मानकर जिम्मेवारी तय की जायेगी।

आवासन आयुक्त